GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
ANDHERI (EAST)
MUMBAI – 400 096.
****

NO. SEEPZ SEZ/LAB/500/2016-17/VOL-II/28518 23rd September, 2016

CIRCULAR NO./LAB/ 10 /2016-17

Subject :- The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 Submission of Annual Report/Return.

As you are aware that as per Section 4 of the above Act, it is obligatory on the part of every Employer to constitute Internal Complaint Committee. Accordingly, on 31st July, 2015 all the Units in the Special Economic Zone had been instructed to form the Internal Complaint Committee and inform the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ within 30 days.

Further, as per Section 22 of the above said Act, the employer shall have to include information in **Annual Report**. And in this connection as per the provisions of Rule 14 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013 employers complaints committee shall prepare under Section 21, with the following details :-

a) number of complaints of Sexual harassment received in the year,
b) number of complaints disposed off during the year.
c) number of cases pending for more than ninety days.
d) number of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out ;
e) nature of action taken by the employer or District Officer.

The above Annual Report for the year ending 31st December, 2015 should be submitted to the SEEPZ Authority, within 7 days hereof.

.....2/-

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096
****

फाइल सं. सीप्ज़-सेज़/श्रम/500/2016-17/खंड-II/ 28518 23 सितंबर, 2016

परिपत्र संख्या / श्रम / 10 /2016-2017

विषय :- कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 - वार्षिक रिपोर्ट/रिटर्न प्रस्तुत करने के संबंध में ।

जैसाकि आप जानते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है । तदनुसार दिनांक 31 जुलाई, 2015 का विशेष आर्थिक क्षेत्र में 30 दिनों के अंदर आंतरिक शिकायत समिति के गठन करने का अनुदेश किया गया था ।

आगे उक्त अधिनियम की धारा 22 के अनुसार नियोक्ता को वार्षिक रिपोर्ट में उक्त विषयक सूचना की शामिल करनी है तथा इस संबंध में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार शिकायत समिति धारा 21 के तहत निम्नलिखित ब्योरों के साथ रिपोर्ट तैयार करेगी :-

(क) वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या
(ख) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या
(ग) नब्बे दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की संख्या
(घ) यौन उत्पीड़न के विरुदध आयोजित की कार्यशालाओं अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या
(ङ) नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति ।

31 दिसंबर, 2015 को समाप्त वर्ष की उक्त वार्षिक रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर सीप्ज़ प्राधिकरण को भिजवाई जाए ।

.....2/-

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

(V. P. Shukla)
Joint Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

Copy to. :-

(1) All SEZ units, in Maharashtra, Goa, Diu & Daman.
(2) The president, SEEPZ Gems & Jewellery Manufacturers Association, BFC Bldg.
(3) Chairman, SEEMA, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
(4) The Regional Director, EPCES for 100% EOU & SEZ,
(5) IT - Section – for uploading on website.

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(वी. पी. शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

प्रतिः-

1) महाराष्ट्र, गोवा, दीव और दमन के सेज़ यूनिट ।
2) अध्यक्ष, सीप्ज़ जेम्स एंड ज्वैलरी मैन्युफैक्चरर्स ।
3) चेयरमैन, सीमा, सीप्ज़-सेज़, मुंबई।
4) क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस, 100% ईओयू तथा सेज़ ।
5) आइटी अनुभाग- अपलोडिंग के लिए।